

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1944 (श0) पटना सोमवार 2 जनवरी 2023

(सं0 पटना 03)

विधि विभाग

अधिसूचना 2 जनवरी 2023

सं० एल०जी०—01—15 / 2022—35 / लेज |——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 दिसम्बर 2022 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व—साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, रूद्र प्रकाश मिश्र, सरकार के सचिव।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 [बिहार अधिनियम 01, 2023]

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ |--
 - (1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
 - (2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे। परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा।
- 2. धारा 16 का संशोधन |— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा—16 में :— (क) उपधारा (2) में,—
 - (i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात :— ''(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्योरे निर्बंधित नहीं किए गए हों'
 - (ii) खंड (ग) में, ''या धारा 43क'' शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगाः
 - (ख) उपधारा (4) में, ''सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की अंतिम तारीख'' शब्दों के स्थान पर, ''30 नवंबर'' शब्द रखे जाएंगे।
 - 3. **धारा २९ का संशोधन।** मूल अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (२) में,—
 - (क) खंड (ख) में, ''तीन क्रमवर्ती कर अविधयों के लिए विवरणी'' शब्दों के स्थान पर, ''उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी'' शब्द रखे जायेंगे :
 - (ख) खंड (ग) में, ''लगातार छह मास की अवधि के लिए'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी लगातार कर अवधियों, जो विहित की जाए, के लिए'' शब्द रखे जाएंगे।
- 4. **धारा 34 का संशोधन।** मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में "सितंबर मास" शब्द के स्थान पर "30 नवंबर" शब्द रखे जाएंगे।
 - 5. **धारा 37 का संशोधन।** मूल अधिनियम की धारा 37 में,-
 - (क) उपधारा (1) में,-
 - (i) ''इलैक्ट्रॉनिक रूप में'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी शर्ती और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए इलैक्ट्रोनिक रूप में और'' शब्द रखे जाएंगे :
 - (ii) ''उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्त्ता को ऐस समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जायेंगे'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी शर्तो और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए और ऐसे समय के भीतर उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएं'' शब्द रखे जाएंगे:
 - (iii) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा :
 - (iv) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु" शब्द रखा जाएगा :
 - (v) तीसरे परंतुक में, "परंतु यह और भी कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु यह और कि" शब्द रखा जाएंगे :
 - (ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा :
 - (ग) उपधारा (३) में,-
 - (i) "जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन सुमेलित नहीं हो सके हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा:
 - (ii) पहले परंतुक में, ''सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्'' शब्दों के स्थान पर ''30 नवंबर के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात'' शब्द रखे जाएंगे :

(घ) उपधारा (३) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :--

"(4) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे किसी कर अविध के लिए प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्त्ती कर अविधयों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए है :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तो और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना तब भी अनुज्ञात कर सकेगी जब उसने एक या अधिक पूर्ववर्त्ती कर अविधयों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं

6. धारा 38 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।— मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात :—

''38 आवक पूर्तियों और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना—

- (1) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों तथा ऐसे अन्य पूर्तियों, जो विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला स्वतः जनित विवरण ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्त्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसे पूर्तियों के प्राप्तकर्त्ताओं को इलैक्ट्रोनिक ढंग से उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- (2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः जनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :--
 - (क) आवक पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तकर्त्ता को उपलब्ध हो सकेगा, और
 - (ख) पूर्तियों के ब्यौरे जिनकी बावत प्राप्तकर्ता द्वारा, चाहे पूर्णतः या अंशतः, ऐसे प्रत्यय का लाभ नहीं लिया जा सकेगा, चूँकि अधिनियम की धारा 37 की उप—धारा (1) के अधीन उक्त ब्यौरे,—
 - (i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के भीतर प्रस्तुत किये गये हैं ; या
 - (ii) कर के संदाय में व्यतिक्रम करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, निरंतर रहा है; या
 - (iii) किसी ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जिसके द्वारा उक्त उपधारा के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार विहित की जाने वाली अविध हेतु संदेय आउटपुट कर उसी अविध हेतु उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से ऐसी सीमा से अधिक है जो विहित की जाय ; या
 - (iv) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है जो खंड (क) के अनुसार उपलब्ध प्रत्यय से ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाए; या
 - (v) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जिसने, ऐसी शर्ती और निर्बंधनों के अधीन जो विहित किए जाएं, धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है; या
 - (vi) ऐसे व्यक्तियों के अन्य वर्ग, जो विहित किए जाए, द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं।"
- 7. धारा 39 का संशोधन। मूल अधिनियम की धारा 39 में :--
 - (क) उपधारा (5) में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर, ''तेरह'' शब्द रखा जाएगा :
 - (ख) उपधारा (७) में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात-

"परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर रहा है, सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए –

- (क) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों को गणना में लेते हुए लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों के समतुल्य कर की रकम, या
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जाएं, अवधारित रकम, का संदाय करेगा।",

- (ग) उपधारा (9) में,-
 - (i) "धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "जहां" शब्द रखा जाएगा,
 - (ii) परंतुक में, "सितम्बर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए" शब्दों के स्थान पर, "30 नवम्बर" अंक और शब्द रखे जाएंगे,
- (घ) उपधारा (10) में, ''विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।'' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :--

"पूर्ववर्ती कर अविध के लिए विवरणी या उक्त कर अविध के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए है :

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तो ओर निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति या रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियां रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियां के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये हों।"।

8. धारा 41 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।— मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात :—

"41 इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग—

- (1) प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जाएं, अपनी विवरणी में स्वःनिर्धारिती के रूप में पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जाएगी।
- (2) माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति की बाबत उपधारा (1) के अधीन रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय, उस पर संदेय कर, पूर्तिकर्ता द्वारा संदत नहीं किया गया है, वह उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लागू ब्याज के साथ रिवर्स करेगा:

परंतु जहां ऐसा पूर्तिकर्त्ता पूर्वोक्त पूर्ति की बाबत संदेय कर का भुगतान करता है, उक्त रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा यथा पूर्वोक्त रिवर्स की गयी रकम ऐसी रीति में जो विहित की जाए, पुनः प्राप्त कर सकेगा।"।

- 9. धारा 42, धारा 43 और धारा 43क का लोप। मूल अधिनियम की धारा 42, धारा 43 और धारा 43क का लोप किया जाएगा।"।
 - 10. **धारा 47 का संशोधन।** मूल अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) में,—
 - (क) "या आवक" शब्दों का लोप किया जाएगा :
 - (ख) ''या धारा 38'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा :
 - (ग) ''धारा 39 या धारा 45'' शब्दों और अंकों के पश्चात् ''या धारा 52'' शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जायेंगे।
- 11. धारा 48 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, ",धारा 38 के अधीन आवक पूर्तियों के ब्यौरे" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।
 - 12. धारा 49 का संशोधन। मूल अधिनियम अधिनियम की धारा 49 में,-
 - (क) उपधारा (2) में, "या धारा 43क" शब्दों, अंको और अक्षर का लोप किया जाएगा;
 - (ख) उपधारा (४) में, "ऐसी शर्तों" शब्दों के पश्चात, "और निर्बंधनों" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
 - (ग) उपधारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः
 - "(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के अधीन, जावक कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, इलैक्ट्रानिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा।"।
- 13. धारा 50 का संशोधन |— मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात :—
 - "(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग और उपयोग किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे गलत उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर, सरकार द्वारा, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की गणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।"।
- 14. धारा 52 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (6) के परंतुक में, ''आने वाले सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख'' शब्दों के स्थान पर, ''30 नवंबर'' अंक और शब्द रखे जाएंगे।

15. धारा 54 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 54 में, —

- (क) उपधारा (1) के परंतुक में, ''धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति'' शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) उपधारा (२) में, ''छह मास'' शब्दों के स्थान पर, ''दो वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे;
- (ग) उपधारा (10) में, ''उपधारा (3) के अधीन'' शब्दों, कोष्ठकों ओर अंक का लोप किया जाएगा;
- (घ) स्पष्टीकरण के खंड (२) में, उपखंड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--
 - ''(खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथना दोनों की पूर्ति की दशा में, जहां, यथास्थिति, उन्हें ऐसी पूर्ति या ऐसी पूर्ति में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं की बाबत संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसी पूर्तियों की बाबत धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख ;''।

16. मूल अधिनियम की धारा 146 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन।

- (1) मूल अधिनियम की धारा 146 के अधीन, राज्य सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर जारी वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 128, तारीख 23 जनवरी, 2018 में संशोधन किए जाएंगे और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में, भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे अर्थातः—
- (2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी मानो कि राज्य सरकार को, मूल अधिनियम की धारा 146 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी।

17. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन।—

- (1) मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन, राज्य सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना सं. एस0ओ0 101 तारीख 29 जून, 2017 में संशोधन किए जाएंगे और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, द्वितीय अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे।
- (2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी, मानो राज्य सरकार को मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी।

18. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट।-

- (1) राज्य सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 65, तारीख 29 जून, 2017 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाला) के, सिवाय मत्स्य तेल के, उत्पादन के दौरान सृजित अनआशयित अपशिष्ट की पूर्ति के संबंध में, 1 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होकर, 30 सितम्बर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, कोई राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा।
- (2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती।

19. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से प्रभाव।—

- (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्यां एस0 ओ0 371, तारीख 30 सितंबर, 2019, राज्य सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, जो मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, 1 जुलाई 2017 से प्रवृत हुई समझी जाएगी।
- (2) ऐसे सभी राज्य—कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना, सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती।

20. निरसन एवं व्यावृत्ति।-

- (1) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (बिहार अध्यादेश संख्या 02, 2022) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2.) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शिक्तयों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

प्रथम अनुसूची [धारा 16(1) देखें।]

. , ,	[41(1 10(1) 4(4)]	
अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन की
4		प्रभावी तारीख
(1)	(2)	(3)
वाणिज्य—कर विभाग की	उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, ''विवरणियां प्रस्तुत	22 जून, 2017
अधिसूचना सं० एस0ओ0 128,	करने और एकीकृत कर की संगणना तथा	
तारीख 23 जनवरी, 2018	परिनिर्धारण'' शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित	
	रखा जाएगा,	
	अर्थात्:—	
	''विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर	
	की संगणना तथा निपटारे और जैसे अधिसूचना	
	सं० एस0ओ० ४०१, तारीख २६ दिसंबर, २०१९ में	
	अन्यथा उपबधित के सिवाय, बिहार माल और	
	सेवा कर नियमावली, 2017 के अधीन उपबंधित	
	सभी कृत्य।''।	

द्वितीय अनुसूची [धारा 17(1) देखें।]

अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन की प्रभावी तारीख
1	2	3
वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना सं० एस0ओ0 101, तारीख 29 जून, 2017	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं0 2 के सामने, स्तंभ (3) में, "24" अंकों के स्थान पर, "18" अंक रखे जाएंगे।	1 जुलाई, 2017

रूद्र प्रकाश मिश्र, सरकार के सचिव।

2 जनवरी 2023

सं० एल०जी०-01-15 / 2022-36 / लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2022 को अनुमत बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (बिहार अधिनियम 01, 2023) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, रूद्र प्रकाश मिश्र, सरकार के सचिव।

THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2022 (Bihar Act 01, 2023)

AN ACT

to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).

BE It enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy third year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title and commencement.—
 - (1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2022.
 - (2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

- 2. Amendment of section 16.— In the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 16,—
 - (a) in sub-section (2),—
 - (i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted;";
 - (ii) in clause (c), the words, figures and letter "or section 43A" shall be omitted;
 - (b) in sub-section (4), for the words and figures "due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.
 - 3. Amendment of section 29.— In section 29 of the principal Act, in sub-section (2),—
 - (a) in clause (b), for the words "returns for three consecutive tax periods", the words "the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return" shall be substituted;
 - (b) in clause (c), for the words "a continuous period of six months", the words "such continuous tax period as may be prescribed" shall be substituted.
- **4.** Amendment of section 34.— In section 34 of the principal Act, in sub-section (2), for the word "September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted.
 - **5.** Amendment of section 37.— In section 37 of the principal Act,
 - (a) in sub-section (1),
 - (i) after the words "shall furnish, electronically,", the words "subject to such conditions and restrictions and" shall be inserted;
 - (ii) for the words "shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed", the words "shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies" shall be substituted;
 - (iii) the first proviso shall be omitted;
 - (iv) in the second proviso, for the words "Provided further that", the words "Provided that" shall be substituted;
 - (v) in the third proviso, for the words "Provided also that", the words "Provided further that" shall be substituted;
 - (b) sub-section (2) shall be omitted;

- (c) in sub-section (3),—
 - (i) the words and figures "and which have remained unmatched under section 42 or section 43" shall be omitted;
 - (ii) in the first proviso, for the words and figures "furnishing of the return under section 39 for the month of September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted;
- (d) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(4) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (1), even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods. ".

- **6. Substitution of new section for section 38.** –For section 38 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - "38. Communication of details of inward supplies and input tax credit.
 - (1) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (1) of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, within such time, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.
 - (2) The auto-generated statement under sub-section (1) shall consist of—
 - (a) details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient; and
 - (b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of section 37,—
 - (i) by any registered person within such period of taking registrationas may be prescribed; or
 - (ii) by any registered person, who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed; or
 - (iii) by any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said sub-section during such period, as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed; or
 - (iv) by any registered person who, during such period as may be prescribed, has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause (a), by such limit as may be prescribed; or
 - (v) by any registered person, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of sub-section (12) of section 49 subject to such conditions and restrictions as may be prescribed; or
 - (vi) by such other class of persons as may be prescribed. ".

- 7. Amendment of section 39.-In section 39 of the principal Act,
 - (a) in sub-section (5), for the word "twenty", the word "thirteen" shall be substituted;
 - (b) in sub-section (7), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,—

- (a) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month; or
- (b) in lieu of the amount referred to in clause (a), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.";
- (c) in sub-section (9),
 - (i) for the words and figures "Subject to the provisions of sections 37 and 38, if", the word "Where" shall be substituted;
 - (ii) in the proviso, for the words "the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted;
- (d) in sub-section (10), for the words "has not been furnished by him", the following shall be substituted, namely:—

"or the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (I) of section 37 for the said tax period."

- **8.** Substitution of new section for section 41. –For section 41 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - "41. Availment of input tax credit
 - (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.
 - (2) The credit of input tax availed by a registered person under sub-section (1) in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed:

Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed.".

- 9. *Omission of sections 42, 43 and 43A.* Sections 42, 43 and 43A of the principal Act shall be omitted.
 - 10. Amendment of section 47.— In section 47 of the principal Act, in sub-section (1),—
 - (a) the words "or inward" shall be omitted;
 - (b) the words and figures "or section 38" shall be omitted;
 - (c) after the words and figures "section 39 or section 45", the words and figures "or section 52" shall be inserted.

- 11. Amendment of section 48.-In section 48 of the principal Act, in sub-section (2), the words and figures ", the details of inward supplies under section 38" shall be omitted.
 - 12. Amendment of section 49.-In section 49 of the principal Act,—
 - (a) in sub-section (2), the words, figures and letter "or section 43A" shall be omitted;
 - (b) in sub-section (4), after the words "subject to such conditions", the words "and restrictions" shall be inserted;
 - (c) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed."
- 13. Amendment of section 50.— In section 50 of the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—
 - "(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilised, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilised, at such rate not exceeding twenty-four percent. as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed."
- **14.** Amendment of section 52.— In section 52 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso, for the words "due date for furnishing of statement for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.
 - **15.** Amendment of section 54.— In section 54 of the principal Act,
 - (a) in sub-section (1), in the proviso, for the words and figures "the return furnished under section 39 in such", the words "such form and" shall be substituted:
 - (b) in sub-section (2), for the words "six months", the words "two years" shall be substituted:
 - (c) in sub-section (10), the words, brackets and figure "under sub-section (3)" shall be omitted;
 - (d) in the *Explanation*, in clause (2), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely:—
 - "(ba) in case of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies;".
- 16. Amendment of notification issued under section 146 of the principal Act retrospectively.—
 - (1) The notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 128, dated the 23rd January, 2018 issued by the State Government on the recommendations of the Council, under section 146 of the principal Act, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the First Schedule, on and from the date specified incolumn (3) of that Schedule.
 - (2) For the purposes of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under section 146 of the principal Act, retrospectively, at all material times.

17. Amendment of notification issued under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the principal Act retrospectively.—

- (1) The notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O.101, dated the 29th June, 2017, issued by the State Government on the recommendations of the Council, under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the principal Act, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the Second Schedule, on and from the date specified in column (3) of that Schedule.
- (2) For the purposes of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the principal Act, retrospectively, at all materialtimes.

18. Retrospective exemption from, or levy or collection of State tax in certain cases.—

- (1) Notwithstanding anything contained in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 65, dated the 29th June, 2017 issued by the State Government, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the principal Act, no state tax shall be levied or collected in respect of supply of unintended waste generated during the production of fish meal (falling under heading 2301), except for fish oil, during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive).
- (2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

19. Retrospective effect to notification issued under sub-section (2) of section 7 of the principal Act.—

- (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 371, dated the 30th September, 2019, issued by the State Government on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub- section (2) of section 7 of the principal Act, shall be deemed to have, and always to have, for all purposes, come into force on and from the 1st day of July, 2017
- (2) No refund shall be made of all such state tax which has been collected, but which would not have been so collected, had the notification referred to in sub-section (1) been inforce at all material times.

20. Repeal and Savings.—

- (1) Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2022 (Bihar Ordinance No.02, 2022) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

THE FIRST SCHEDULE [See section 16(1)]

Notification number and date	Amendment	Date of effect of amendment
(1)	(2)	(3)
Commercial Taxes Department Notification No. S.O. 128, dated the 23 rd January, 2018	In the said notification, in paragraph 1, for the words "furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax", the following shall be substituted, namely:— "furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax and save as otherwise provided in the notification number S.O. 401, dated the 26 th December, 2019, all functions provided under the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017."	22nd June, 2017.

THE SECOND SCHEDULE [See section 16(1)]

Notification number and date	Amendment	Date of effect of amendment
(1)	(2)	(3)
Commercial Taxes Department Notification No. S.O.101, dated the 29 th June, 2017	In the said notification, in the Table, against serial number 2, in column (3), for the figures "24", the figures "18" shall be substituted.	1st July, 2017.

Rudra Prakash Mishra, Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 3-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in